FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

.....कुनाड़े.....बनाम.....लेहमाराम.....

एक्ट 9(13) CPC मुकदमा नं. 06 सन् 2023 जीसीएमएस नम्बर .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24/08/23	प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री भागीरथ तेली द्वारा विरूद्व अप्रार्थी/अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी/अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 9(13) CPC राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955/राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सवारों की कमी होने के कारण अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के नोटिस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाना चाहते हैं। चूकि सवारों की कमी होने के कारण तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाना आवश्यक हैं। नोटिस की तलबी हेतु प्रार्थी के खर्चे पर नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक वास्ते, प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। । अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 26/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)	
26/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रजिस्टर्ड डाक सामग्री सहित रसीदें पेश की है जो मौलाह पत्रावली की जावे। लेखन पत्रावली है। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन किया कि मूल वाद मुझे सुनने का अवसर प्रदान करावें। सहमत एकपक्षीय समाप्त की गई। सहमत एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 CPC स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली के साथ टीपट नम्बर है कम हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर।	